

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 11/2019

दायर दिनांक: 09.11.2019

उनवान

1. मोरध्वज आयु 64 वर्ष पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी निमोदा तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादी

बनाम

1. मांगीलाल आयु 75 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति मेघवाल।
2. सुमित्रा आयु 45 वर्ष पुत्री भोजराज पत्नि हजारी लाल जाति मेघवाल।
3. पप्पू उर्फ मोहन आयु 48 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल।
4. हेमराज आयु 45 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल।
5. पानाबाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्व० छीतरलाल जाति मेघवाल निवासीगण निमोदा तहसील अटरू जिला बारां राज०।
6. राजेश बाई आयु 42 वर्ष पुत्री छीतरलाल पत्नि राजूलाल जाति मेघवाल निवासी निमोदा हाल निवासी भोकड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज०।
7. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां राज०।
8. शाखा प्रबन्धक महोदय सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू जिला बारां राज०।
9. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

निर्णय


दिनांक 08/02/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 20.11.2019 की पालना में तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया जिसकी पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/1403 दिनांक 18.12.2019 से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिससे उभयपक्षकारान सहमत है।

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम निर्णय किया जाकर विवादित आराजी ग्राम व माल भैंसड़ा तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी 2072 से 2075 खाता संख्या 77 के ख0न0 35 का रकबा 0.86 है0, ख0न0 54 का रकबा 4.30 है0, ख0न0 66/355 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 140 का रकबा 0.33 है0, ख0न0 185 का रकबा 0.48 है0, ख0न0 240/400 का रकबा 0.60 है0, ख0न0 257 का रकबा 0.88 है0 कुल कित्ता 7 का रकबा 7.65 है0 आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के शामलाती खाते दर्ज हैं जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 दर्ज खाता हैं। शेष खातेदार के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

1 वादी मोरध्वज पुत्र पन्ना लाल जाति मेघवाल साकिन निमोदा के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी जो निम्न प्रकार है।—

क्र.सं.	नाम ग्राम	खसरा नं.	किस्म	रकबा	लगान
1	निमोदा	35 दक्षिण	माल 1	0.20	2.20
		54 मध्य	माल 2	1.52	13.68
		140 उत्तर	बारानी उत्तम	0.08	1.20
		185 मध्य	माल 1	0.12	1.32
कित्ता 4				1.92	18.40

2 प्रतिवादीगण मांगीलाल पुत्र धन्नालाल हिस्सा 1/3, सुमित्रा पुत्री भोजराज हिस्सा 1/3, पप्पू उर्फ मोहन, हेमराज पुत्र, राजेशबाई पुत्री पानाबाई पत्नी स्व0 छीतरलाल हिस्सा 1/3 कोम मेघवाल सा0देह रहन SBI अटरू, हिस्सा सुमित्रा रहन SBI शाखा अटरू, हिस्सा पप्पू उर्फ मोहन व पाना बाई रहन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का हिस्सा मांगीलाल पर नामा नं. 257,306,308 शुद्धि पत्र क्र 1 का हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा।

क्र.सं.	नाम ग्राम	खसरा नं.	किस्म	रकबा	लगान
1	निमोदा	35	माल 1	0.66	7.26
		54	माल 2	2.78	25.02
		66 / 355	माल 2	0.20	1.80
		140	बारानी	0.25	3.75
		185	माल 1	0.36	3.96
		240 / 400	माल 2	0.60	5.40
		257	बारानी	0.88	7.04
		किता 7		5.73	54.23

उपरोक्तानुसार वादी/प्रतिवादीगण का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि वादी/प्रतिवादीगण के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीना (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 11/2019

उनवान

मोरध्वज आयु 64 वर्ष पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी निमोदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. मांगीलाल आयु 75 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति मेघवाल।
2. सुमित्रा आयु 45 वर्ष पुत्री भोजराज पत्नि हजारी लाल जाति मेघवाल।
3. पप्पू उर्फ मोहन आयु 48 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल।
4. हेमराज आयु 45 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल।
5. पानाबाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्व0 छीतरलाल जाति मेघवाल निवासीगण निमोदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. राजेश बाई आयु 42 वर्ष पुत्री छीतरलाल पत्नि राजूलाल जाति मेघवाल निवासी निमोदा हाल निवासी भोकड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां राज0।
8. शाखा प्रबन्धक महोदय सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू जिला बारां राज0।
9. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।
- 10.

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल भैंसड़ा तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी 2072 से 2075 खाता संख्या 77 के ख0न0 35 का रकबा 0.86 है0, ख0न0 54 का रकबा 4.30 है0, ख0न0 66/355 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 140 का रकबा 0.33 है0, ख0न0 185 का रकबा 0.48 है0, ख0न0 240/400 का रकबा 0.60 है0, ख0न0 257 का रकबा 0.88 है0 कुल किता 7 का रकबा 7.65 है0 आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के शामिलती खाते दर्ज हैं जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 दर्ज खाता हैं। शेष खातेदार के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

1 वादी मोरध्वज पुत्र पन्ना लाल जाति मेघवाल साकिन निमोदा के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी जो निम्न प्रकार है।-

क्र.सं.	नाम ग्राम	खसरा नं.	किस्म	रकबा	लगान
1	निमोदा	35 दक्षिण	माल 1	0.20	2.20
		54 मध्य	माल 2	1.52	13.68
		140 उत्तर	बारानी उत्तम	0.08	1.20
		185 मध्य	माल 1	0.12	1.32

किता 4

1.92

18.40

2 प्रतिवादीगण मांगीलाल पुत्र धन्नालाल हिस्सा 1/3, सुमित्रा पुत्री भोजराज हिस्सा 1/3, पप्पू उर्फ मोहन, हेमराज पुत्र, राजेशबाई पुत्री पानाबाई पत्नी स्व० छीतरलाल हिस्सा 1/3 कोम मेघवाल सा०देह रहन SBI अटरू, हिस्सा सुमित्रा रहन SBI शाखा अटरू, हिस्सा पप्पू उर्फ मोहन व पाना बाई रहन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का हिस्सा मांगीलाल पर नामा नं. 257,306,308 शुद्धि पत्र क 1 का हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा।

क्र.सं.	नाम ग्राम	खसरा नं.	किस्म	रकबा	लगान
1	निमोदा	35	माल 1	0.66	7.26
		54	माल 2	2.78	25.02
		66/355	माल 2	0.20	1.80
		140	बारानी	0.25	3.75
		185	माल 1	0.36	3.96
		240/400	माल 2	0.60	5.40
		257	बारानी	0.88	7.04
किता 7				5.73	54.23

उपरोक्तानुसार वादी/प्रतिवादीगण का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि वादी/प्रतिवादीगण के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावे।

(दिनेश कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 08.02.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत०
महन्ताना वकील	मुत०	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)